जिला निर्वाचन कार्यालय

जनपद–बस्ती

लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाये जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	बिन्दु	उत्तर
(i)	अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य	निर्वाचनो का संचालन तथा निर्वाचक नामावाली तैयार करना।
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	कार्यो को ससमय कार्यालय में उपस्थित रहकर सम्पादन किया जाना।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	कार्यों का पर्यवेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है।
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान	कार्यालय के नियत अवधि में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन करना व जनसाधारण द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराना।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियत्रंणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसारं नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखो को ध्यान में रखकर कार्यो का सम्पादन किया जाना।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण	फोटो पहचान पत्र, मतदेय स्थल तथा निर्वाचक नामावली
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निर्वाचक नामावली मतदेय स्थल एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र आदि के संबंध में राजनैतिकदल/आमजन से परामर्श लिया जाता है।
(viii)	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरण	विभाग से संबंधित नही है।
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	पृथक रूप से निर्देशिका नही निर्गत की गई है।
(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो	कार्यालय के अधिकारी एवं समस्त कर्मचारियों पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन आदि पर) रूपयें–3,48,815–00 मात्र की धनराशि व्यय होती है
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संविवरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आंवटित बजट	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरें सम्मिलित है	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है।
(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है।

(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरें, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा पारित हो	इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में सूचना शून्य है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में प्रातः 10.00 बजें से सांय 5.00 बजे तक नागरिको के बैठने आदि की व्यवस्था है।
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां	श्री जंगजीत वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, बस्ती मो0 न0 9454418055
(xvii)	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए	—

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
बस्ती।